न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
अशोक कुमार बनाम भूमिधारी
प्रार्थना पत्र सं0 07/2019

23/8/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुयी। वकील प्रार्थी उप0। पत्रावली में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में एक पक्षीय कार्यवाही अमल लायी जा चुकी है। तहसीलदार (भूमिधारी) पाटन की रिपोर्ट पूर्व से प्राप्त होने से पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। प्रकरण का संक्षेप में सार इस प्रकार है कि प्रार्थी व सहखातेदार हनुमान पुत्र किशोरीलाल की खातेदारी भूमि खसरा नं0 754, 756, 757, 759 कुल किता 4 कुल रकबा 1.46 हैक्टे. राजस्व ग्राम भगेश्वर पटवार मण्डल डोकन तहसील पाटन स्थित है जिनके गत खसरा नंबर क्रमशः 461/2, 462, 463, 465 थे। उक्त भूमियों के क्रम में प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू0 रा0 अ0 1956 इस आशय का पेश किया कि उक्त भूमियों के पुराने खसरा नं0 का जो नक्शा ट्रेस राजस्व विभाग द्वारा जारी किया हुआ है में भूमि की स्थिति सही रुप से दर्शायी गयी है। भूप्रबन्धन के बाद नये खसरा नम्बरान दर्ज कर जो नया नक्शा ट्रेस नक्शा राजस्व विभाग द्वारा जारी किया गया है उसमें भूमि खसरा नम्बरान की स्थिति सही रुप से दर्ज नही की गयी जिससे भूमि की वास्तविक स्थिति परिवर्तित हो गयी है। इस तरह भूमि की स्थिति परिवर्तित होने से भविष्य में भूमि के खातेदारान के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तथा अनुतोष चाहा कि पुराने भूमि खसरा नम्बरान के अनुसार नये खसरा नम्बरान की स्थिति नक्शा ट्रेस में अंकित की जावें। प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया, बावजूद सम्यक तामिल अनु0 रहने पर अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रकरण में तथ्यात्मक रिपोर्ट हेतु न्यायालय के पत्रांक राजस्व/2022/09 दिनांक 06.01.2022 व पत्रांक राजस्व/2022/212 दिनांक 02.08.2022 द्वारा भूमिधारी तहसीलदार से रिपोर्ट चाही गयी जिसके [illegible] तहसीलदार पाटन द्वारा मय [illegible] रिपोर्ट जरिये पत्रांक राजस्व/2022/[illegible] दिनांक [illegible] 08.2022 प्राप्त हुयी कि उपर्युक्त उनवानी प्रकरण [illegible] पटवारी हल्का डोकन से रिपोर्ट ली गयी है। पटवारी रिपोर्ट, प्रश्नगत भूमियों के वर्तमान व गत राजस्व रिकॉर्ड तथा वर्तमान मौका अनुसार प्रकरण में रिपोर्ट निम्न प्रकार है –

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer S
Yadav
Date: 2024.11.30 13:38:03 IS
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
अशोक कुमार बनाम भूमिधारी
प्रार्थना पत्र सं0 07/2019

1. प्रार्थी भूमि हाल खसरा नं0 754 की गलत तरमीम को प्रार्थी की ही अन्य खातेदारी भूमि खसरा नं0 756, 757, 759 से सटते हुये सही करवाना चाहता है।
2. प्रार्थी की खातेदारी भूमियों खसरा नं0 754, 756, 757, 759 के पुराने खसरा नं0 व उनकी खातेदारी इस प्रकार रही है:–

क्र0 सं0	नये खसरा नं0		पुराने खसरा नं0		खातेदारी जमाबन्दी 2049–52	वर्तमान जमाबन्दी
	ख0 नं0	रकबा	ख0 नं0	रकबा		
1	754	0.51	461/2	0.51	घड़सी, जोरा, सुवा पुत्र रेखा	अशोक कुमार पुत्र रामकुवांर हि0 1/2 हनुमान पुत्र किशोरी लाल हि0 1/2
2	756	0.51	462	0.51	घड़सी पुत्र रेखा हि0 1/2 जोरा पुत्र रेखा हि0 1/2	
3	757	0.18	463	0.18		
4	759	0.26	465	0.26		

3. खसरा नं0 461/2 (हाल 754) की खातेदारी जरिये विक्रय पत्र प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुयी है।
4. खसरा नं0 461/2 (हाल 754) की खातेदारी मूल खातेदारान को जरिये आवंटन प्राप्त है।
5. खसरा नं0 462, 463, 465 (हाल 756, 757, 759) के मूल खातेदार व प्रश्नगत खसरा नं0 461/2 (हाल 754) के मूल खातेदार एक समान है।
6. घड़सी, जोरा पुत्र रेखा खसरा नंबर 462, 463, 465 (हाल खसरा नंबर 756, 757, 759) के प्रारम्भ से उक्त भूमियों के मूल खातेदार रहे हैं तथा इनकी उक्त भूमियों से लगती हुयी ही प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 461/2 हाल खसरा नंबर 754 सद्भावी कृषक एवं कब्जा होने के कारण भूमि आवंटन नियमों के तहत इनको आवंटन की गयी थी। अपनी कृषि जोत के सहारे आवंटित भूमि पर काबिज काश्त होकर, प्रथमतः गैर खातेदार होकर तत्पश्चात् खातेदारी शर्तो की पूर्ण पालना करने उपरान्त इन्हें प्रश्नगत भूमि खसरा नंबर 461/2 हाल खसरा नंबर 754 के खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं।

Signature Not
Digitally signed
Yadav
Date: 2024.11.3
Reason: SelfAtt

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी न
अशोक कुमार बनाम भूमि
प्रार्थना पत्र सं0 07/20

7. इन्हीं मूल खातेदारान से प्रार्थीगण ने चली आ रही मूल खातेदारी की भूमियॉ से प्राप्त उक्त प्रश्नगत भूमि क्रय वर्तमान में एक ही जगह स्थित हैं। मौ भूमियां एक जाव होकर एक जगह हैं, दीवारी लगी हुयी है एवं प्रार्थीगण के उपभोग में आ रही हैं।
8. वर्तमान राजस्व नक्शों में जहां भूमि 754 को दर्शा रखा है वहां पर रिपो अनुसार प्रार्थीगण का कोई कब्जा का एवं न ही पूर्व खातेदारान का रहा है। मौके उबड़ खाबड़ है। पटवारी रिपो संलग्न नक्शें में लाल स्याही से अंकित पूर्व में मूल खातेदारान व अब प्रार्थीगण खसरा नंबर 754 कब्जा काश्त है।
9. वरवक्त आवंटन आवंटित भूमि की त करने एवं नवीन भू प्रबन्धन में उक्त प्र खसरा नंबर 754 की गलत तरमीम जो मौके एवं रिकॉर्ड के विपरीत दुरूस्तनीय है। प्रकरण में कोई राजहि नहीं होता है।

तहसीलदार पाटन ने अपनी रिपोर्ट के स पटवारी दिनांक 08.08.2022 , प्रार्थी की उ तैयार मौका फर्द दिनांक 08.08.2022 व वर्तम राजस्व रिकॉर्ड तथा दुरुस्ती हेतु प्रतिहस्ताक्षरित नक्शा जिसमें बैंगनी रंग से प्रस्तावित दुरुस्ती है प्रेषित की है।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का तस्दीकशुदा शपथ पत्र एवं सहखातेदार ह किशोरीलाल जाति गुर्जर निवासी नई दिल्ली एवं तस्दीकशुदा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रकरण में बहस नियत होने पर दौराने बहस ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान कथन किया था कि राजस्व ग्राम भगेश्वर पट डोकन तहसील पाटन स्थित वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 461/2 व प्रारम्भ से च कब्जे के अनुसार नये खसरा नम्बर 754 नक्शा ट्रेस में अंकित की जावें। दौराने ब वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना
अशोक कुमार बनाम भूमिधारी
प्रार्थना पत्र सं0 07/2019

पाटन की रिपोर्ट के साथ संलग्न दुरुस्ती हेतु प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तावित नक्शा जिसमें बैंगनी रंग से प्रस्तावित दुरुस्ती का अंकन है के मुताबिक हाल खसरा नं0 754 रकबा 0.51 हैक्टे0 स्थित ग्राम भगेश्वर पटवार मण्डल डोकन तहसील पाटन की वर्तमान राजस्व नक्शें में तरमीम किये जाने हेतु तहसीलदार पाटन को आदेशित किये जाने का अनुतोष चाहा।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार पाटन दिनांक 12.08.2022 का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं0 754 की हाल राजस्व नक्शें में तरमीम दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन, प्रार्थी व वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात व रिपोर्ट तहसीलदार पाटन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम भगेश्वर पटवार हल्का डोकन तहसील पाटन स्थित भूमि खसरा नं0 754 रकबा 0.51 हैक्टे0 की तरमीम तहसीलदार पाटन की रिपोर्ट कमांक राजस्व/2022/1060 दिनांक 12.08.2022 के साथ संलग्न दुरुस्ती हेतु तहसीलदार पाटन से प्रतिहस्ताक्षरित प्रस्तावित नक्शा जिसमें बैंगनी रंग से प्रस्तावित दुरुस्ती का अंकन है में अंकित नक्शें अनुसार दुरुस्त की जावें। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन 12.08.2022 मय संलग्नक निर्णय की नाम तहसीलदार पाटन की पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:38:03 IST
Reason: SelfAttested

(बृजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना